चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/782
दिनांक : 10.5.2014

सम्बद्धता आदेश

शासन के पत्र संख्या सम्ब0–70/सत्तर–2–2014–2(70)/2014, दिनांक 08.05.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन **आई0ए0एम0आर0 बी0एड0 कालेज, 8, माईल स्टोन, दिल्ली–मेरठ रोड, दुहाई (गाजियाबाद)** को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन **दिनांक 01.07.2014 से सम्बद्धता** की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा–प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन–पाठन कराया जायेगा।
04. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एंव मानकों की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
05. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार **आई0ए0एम0आर0 बी0एड0 कालेज, 8, माईल स्टोन, दिल्ली–मेरठ रोड, दुहाई (गाजियाबाद)** को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन **दिनांक 01.07.2014 से सम्बद्धता** की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि सम्बद्धता पत्र निर्गत होने की तिथि के विलम्बतम 10 दिवसों में शासन द्वारा निर्गत सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में रू0 100/–का गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर महाविद्यालय/संस्थान के अध्यक्ष एवं सचिव का संयुक्त फोटोयुक्त नोटरी शपथ पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश समय–समय पर निर्गत शासनादेशों एवं विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार ही किये जायेंगे।

भवदीय,

/

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, आई0ए0एम0आर0 बी0एड0 कालेज, 8, माईल स्टोन, दिल्ली–मेरठ रोड, दुहाई (गाजियाबाद)।
3. कुलसचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी को बी0एड0 सत्र 2014–15 की काउन्सिलिंग में सम्मिलित करने हेतु।
4. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
5. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि आगामी कार्यपरिषद की बैठक में प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें।
6. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
8. प्रभारी, इंटरनैट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल हेतु।

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)